A 7/1 (18)

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 18/2013

अपीलांट्स **बनाम्**

1.ओमाराम पुत्र राऊराम
2.मीठाराम पुत्र राऊराम
3.चेनाराम पुत्र राऊराम
4.सुखदेव पुत्र राऊराम
5.पुनी पत्नी राऊराम
6.किस्तुरा पुत्र मावाराम
7.नेमाराम पुत्र मावाराम
8.कानाराम पुत्र मावाराम
9.गंगाराम पुत्र मावाराम
10.गणेशाराम पुत्र मावाराम
11.चम्पा पत्नी मावाराम
जाति माली साकिन धने
की ढाणी तहसील सिणधरी

रेस्पोडेंट्स

1केहराराम पुत्र प्रागाराम
2.हडुमानराम पुत्र प्रागाराम
3.पारसमल पुत्र प्रागाराम
4.कांकु पत्नी प्रागाराम
जाति माली साकिन धने की
ढाणी तहसील,सिणधरी
5.उप तहसीलदार,सिणधरी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनाक 25.05.2012 द्वारा उप तहसीलदार,सिणधरी।

उपस्थितः– 1.अपीलांट सं. 01 से 10 उपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
2.रेस्पोडेंट संख्या 03 उपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
3.रेस्पोडेंट सं. 05 तहसीलदार सिणधरी उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 266,267, 268,269,274/267 रकबा कुल रकबा 43 बीघा 10 विस्वा ग्राम धने की ढाणी में आये हुए है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01से 11 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार,सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर उप तहसीलदार सिणधरी ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2012 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की। है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

(19)

की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब कीं।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिणधरी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट 01 से 10 उपस्थित हुए। इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट् संख्या 03 उपस्थित रहे। इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 05 तहसीलदार सिणधरी उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 25.05.2012 के विरूद्ध पेश की है। अपीलांटस एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम धने की ढाणी में खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269, 274/267 रकबा कुल रकबा 43 बीघा 10 विस्वा आयी हुई है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 11 ने अपनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंटस के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। पहिचानकर्ता पटवारी हल्का कमठाई ने पहचान दी है। उप तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2012 पक्षकारों की आपसी सहमति पर आधारित है। आपसी सहमति से किये गये विभाजन के बाद अपीलांट्स सहमति से इंकार नहीं कर सकते। अतः सहमति के आधार पर उप तहसीलदार सिणधरी ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एंव मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2012 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2012यथावत कायम रखा जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिणधरी में आज दिनांक 24.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर

Scanned by CamScanner